

-जरिये ई-मेल-

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

दिनांक : 30/09/26

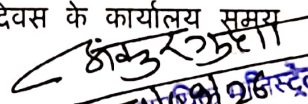
क्रमांक : स्था./2026/60

:: कार्यालय आदेश ::

मैं अंकुर गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) एवं तद् हेतु प्राधिकृत करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेशित करता हूँ कि वर्ष 2026 के माह अक्टूबर तथा नवम्बर में दिनांक 30.11.2026 तक के राजकीय अवकाशों हेतु बून्दी न्यायक्षेत्र के लिये आवश्यक फौजदारी कार्य, रिमाण्ड, जमानत एवं अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन, धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन/धारा 196 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही तथा प्रोटोकॉल कार्य हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिये निम्न तारीखों में उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट्स को न्यायालय में वक्त 11.00 ए.एम. से दोपहर 02.00 पी.एम. तक करने के लिये अधिकृत किया जाता है-

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	ड्यूटी की दिनांक	मोबाइल नम्बर
1	श्री हनुमान सहाय मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी	02.10.2026 04.10.2026	9509517697
2	श्रीमती वृष्टि विज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-3, बून्दी	10.10.2026 11.10.2026	8800441494
3	श्री आशीष कुमार परेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी	18.10.2026 19.10.2026	8447103619
4	श्रीमती रसना मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली, जिला बून्दी	20.10.2026 21.10.2026	9680862778
5	सुश्री अलका मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवां, जिला बून्दी	22.10.2026 23.10.2026	7414018889
6	सुश्री नूपुर गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, बून्दी	24.10.2026 25.10.2026	9713611200
7	श्रीमती संगीता मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी, जिला बून्दी	01.11.2026 07.11.2026	9024848079
8	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली, जिला बून्दी	08.11.2026 से 11.11.2026	9664400451
9	सुश्री पारुल मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, जिला बून्दी	12.11.2026 13.11.2026	9929425016
10	सुश्री तनु वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी	14.11.2026 15.11.2026	9588932196
11	श्रीमती नताशा चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तालेड़ा, जिला बून्दी	22.11.2026 24.11.2026	9680564407
12	श्री चन्दन भाटी, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तालेड़ा, जिला बून्दी	29.11.2026	8290858476

नोट :-1- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय


अंकुर गुप्ता
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राज.)



पूर्व तक रहेगी। यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती कार्य दिवस को अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी, जिसकी रिमाण्ड इयूटी लगायी गयी है, उसी अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर रहकर घोषित अवकाश के दिवस को जमानत, रिमाण्ड व आवश्यक कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

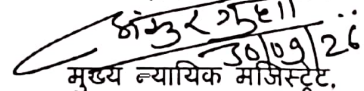
2- अभियुक्तगण को निर्धारित समय में ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मात्र विशेष एवं आपवादिक परिस्थितियों में ही मुलजिम को निवास पर पेश किया जावे।

3- उक्त आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियां होने के पश्चात ही इयूटी परिवर्तन हेतु संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षकर्ता को पांच दिवस पूर्व सूचित किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। इस संबंध में अनावश्यक मौखिक वार्ता नहीं की जावे।

4- अवकाश के दिन यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अथवा लिंक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित है तो उनसे भी जमानत, रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिये आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

5- अवकाश के दौरान प्रस्तुत एफ.आई.आर., रिमाण्ड कागजात एवं अन्य दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।

6- उक्त किसी भी अधिकारीगण का स्थानान्तरण होने पर उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा ही नियत अवधि में रिमाण्ड इयूटी सम्पादित की जावेगी तथा सभी अधिकारीगण, जिनकी रिमाण्ड इयूटी लगायी गयी है, वे आवश्यकता होने पर प्रोटोकॉल कार्य भी सम्पादित करेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2026/3031-3046

दिनांक : 30/09/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बून्दी।
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी/संबंधित न्यायालय।
- (4) जिला आवकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आवकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी।
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी।
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बून्दी।
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)